प्रारंभिक परीक्षा

RBI ने NBFC को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर जोखिम भार घटा दिया है

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को बैंक ऋण पर जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंक की कटौती की घोषणा की है।

जोखिम भार(Risk Weights) क्या हैं?

- **जोखिम भार एक विनियामक उपाय है जिसका उपयोग बैंकों द्वारा अपने ऋण जोखिमों को कवर करने के लिए आवश्यक पूंजी का आकलन करने के लिए किया जाता है।**
- जोखिम भार जितना अधिक होगा, बैंक को उतनी ही अधिक पूंजी अलग रखनी होगी, जिससे ऋण देना अधिक महंगा हो जाएगा।
- जोखिम भार जितना कम होगा, बैंक को उतनी ही कम पूंजी रखने की आवश्यकता होगी, जिससे ऋण सस्ता हो जाएगा और ऋण प्रवाह बढ़ जाएगा।
- **NBFC ऋणों पर जोखिम भार:**
    - **RBI ने NBFC को** उनकी **क्रेडिट रेटिंग के आधार** पर **बैंक ऋण पर जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक कम कर दिया है।**
- इस कदम से NBFC को ऋण प्रवाह में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे वे खुदरा उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों को अधिक ऋण देने में सक्षम हो सकेंगे।

NBFC(गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) क्या हैं?

- **NBFC वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है।**
- **वे मांग जमा (बचत खातों की तरह) स्वीकार नहीं करती हैं**, लेकिन ऋण, परिसंपत्ति वित्तपोषण और निवेश सेवाएं प्रदान करती हैं।
- **NBFC के प्रकार:**
    - **परिसंपत्ति-देयता संरचनाओं के आधार पर:** जमा स्वीकार करने वाली NBFC(NBFC-D) और जमा न स्वीकार करने वाली NBFC(NBFC-ND)।
    - **प्रणालीगत महत्व के आधार पर:** जमा न लेने वाली NBFC में, जिनकी परिसंपत्ति का आकार 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उन्हें जमा न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC(NBFC-ND-SI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंकों और NBFC के बीच अंतर

पहलू	बैंक	NBFC
जमा	**सभी प्रकार की जमाराशि स्वीकार करता है**	**मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती**
DICGC का जमा बीमा	**लागू (5 लाख रुपये तक)**	लागू नहीं
RBI की भुगतान और निपटान प्रणाली	आरटीजीएस, एनईएफटी आदि का समर्थन करता है।	समर्थित नहीं है। **चेक जारी नहीं किया जा सकता।**
विदेशी निवेश (एफडीआई)	74% तक	**100% तक (स्वचालित रूट के अंतर्गत)**

नकद आरक्षित आवश्यकता (सीआरआर)	लागू	लागू नहीं
पूंजी पर्याप्तता मानदंड	लागू	केवल जमा स्वीकार करने वाली NBFC और **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC (सीआरएआर - 15%) पर लागू**
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)	लागू	केवल जमा स्वीकार करने वाली NBFC पर लागू (एसएलआर - 15%)
के तहत स्थापित	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित और श्रेणी के आधार पर विभिन्न निकायों द्वारा विनियमित।

स्रोत: **Indian Express - NBFC**

काला प्लास्टिक(Black Plastic)

संदर्भ

हाल ही में काले प्लास्टिक पर किए गए अध्ययन में विषाक्त अग्निरोधी तत्वों की उपस्थिति का पता चला है, जिससे खाद्य पदार्थों के संदूषण और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।

काला प्लास्टिक क्या है?

- **काला प्लास्टिक अक्सर कंप्यूटर, टीवी और उपकरणों जैसे पुनर्नवीनीकृत इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनाया जाता है।**
- इलेक्ट्रॉनिक कचरे में हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - **ब्रोमीन** जैसे **अग्निरोधी पदार्थ**
    - **भारी धातुएँ** जैसे **सीसा, कैडमियम और पारा।**
- इन पदार्थों को उनकी विषाक्तता के कारण कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- काले प्लास्टिक का उपयोग आमतौर पर रसोई के बर्तनों, टेकआउट कंटेनरों, पैकेजिंग और खिलौनों में किया जाता है।
- **काले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव:**
    - **स्वास्थ्य जोखिम:** इसमें न्यूरोटॉक्सिक भारी धातुएं और कैंसरकारी यौगिक शामिल हैं।
    - **खाद्य संदूषण:** गर्मी के संपर्क में आने से भोजन में रसायन का रिसाव हो सकता है।
    - **पर्यावरणीय खतरा:** पुनर्चक्रण करना कठिन है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता है।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: पर्यावरण में छोड़े जाने वाले 'माइक्रोबीड्स' को लेकर इतनी चिंता क्यों है? (2019)

(a) इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है।
(b) माना जाता है कि ये बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण बनते हैं।
(c) वे इतने छोटे होते हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।
(d) इनका प्रयोग प्रायः खाद्य पदार्थों में मिलावट के रूप में किया जाता है।

उत्तर: (**a**)

स्रोत: [Indian Express - Black Plastic]

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

संदर्भ

भारत के विदेश मंत्री ने 61 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (KNP) के बारे में -

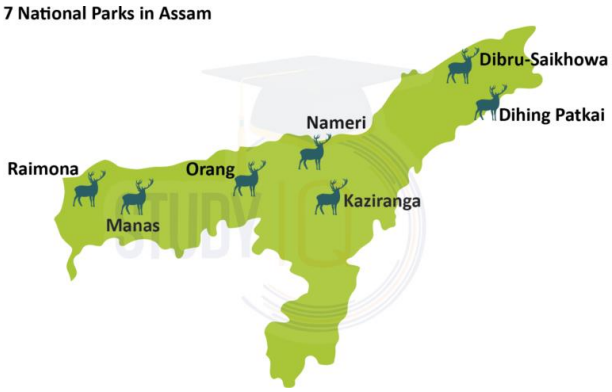

- **अवस्थिति:** असम के गोलाघाट और नागांव जिले, ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी (मिकिर) पहाड़ियों के बीच।
- **यह एक राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (1985) है।**
- **यहां भारतीय एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी है (2022 की जनगणना के अनुसार 2,613)।**
- **यह ऑस्ट्रेलेशिया और इंडो-एशियाई फ्लाईवे के जंक्शन पर स्थित है।**
- यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा अबाधित क्षेत्र है।
- **वनस्पति**: यह हाथी घास, रतन बेंत और जलीय पौधों जैसे जलकुंभी के लिए प्रसिद्ध है।
- **जीव-जंतु:** बड़ा एक सींग वाला गैंडा, हूलॉक गिब्बन, बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, सुस्त भालू, जंगली भैंसा, दलदली हिरण।

स्रोत: [The Hindu - Kaziranga National Park]

प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इराक का उत्तरी क्षेत्र डूब रहा है

संदर्भ

एक हालिया भूवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि इराक का उत्तरी क्षेत्र धीरे-धीरे डूब रहा है।

प्लेट टेक्टोनिक्स और डूबती समुद्री स्लैब -

- **डूबने का कारण नियोटेथिस समुद्री स्लैब है, जो 66 मिलियन वर्ष पहले मौजूद प्राचीन समुद्र तल का अवशेष है।**
- **यह स्लैब अरब और यूरेशियन महाद्वीपीय प्लेटों के बीच के क्षेत्र में स्थित है और अब दक्षिण-पूर्व तुर्की से उत्तर-पश्चिम ईरान तक अलग हो रही है।**
- नियोटेथिस स्लैब सक्रिय रूप से डूब रहा है और इराक के ज़ाग्रोस क्षेत्र को नीचे की ओर खींच रहा है।
    - ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला का निर्माण अरब और यूरेशियन प्लेटों के बीच टेक्टॉनिक टकराव के कारण हुआ था।
- डूबन अत्यंत धीमी गति से हो रहा है—लाखों वर्षों से—और मानव समय के पैमाने पर दिखाई नहीं देता है।

ज़ाग्रोस पर्वत -

- यह मध्य एशिया की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। (तुर्की, इराक और ईरान)
- **भौगोलिक विस्तार**: पूर्वी तुर्की और उत्तरी इराक के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य (ईरान) तक उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 1,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
- **यह तेल और प्राकृतिक गैस से भरपूर है।**
    - ज़ाग्रोस फोल्ड बेल्ट में दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल क्षेत्र शामिल हैं।

स्रोत: **Indian Express - Why Iraq is slowly sinking**

पीएम-किसान योजना के छह वर्ष

संदर्भ

हाल ही में पीएम-किसान योजना को शुरू हुए छह साल पूरे हुए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के बारे में -

- **इसे 2019 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।**
- **उद्देश्य**: कृषि निवेश और आजीविका सुरक्षा के लिए किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना।
- यह एक **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना** है (भारत सरकार से 100% वित्त पोषण)।
- **वित्तीय सहायता**: पात्र किसानों को **प्रति वर्ष ₹6,000 मिलते हैं**, जो **₹2,000 की तीन किस्तों में विभाजित होते हैं**।
- **प्रत्यक्ष हस्तांतरण**: पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
- **लाभार्थी:** संस्थागत भूमिधारकों, उच्च आय वाले करदाताओं आदि को छोड़कर सभी भूमिधारक किसान परिवार।
    - **कुल संवितरण**: अब तक सरकार ने **11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।**

पीएम-किसान का प्रभाव -

- किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने में मदद करता है।
- फसल उत्पादन के लिए स्थिरता प्रदान करता है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि निवेश का समर्थन करता है।
- खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।

स्रोत: **DD News - PM-KISAN**

समाचार संक्षेप में

रात में महिलाओं को गिरफ़्तार करने पर मद्रास उच्च न्यायालय का फ़ैसला

- हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाने वाला कानूनी प्रावधान निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं।

रात में महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय -

- **BNSS, 2023 की धारा 43(5)** (पूर्व में CrPC की धारा-46(4)) दो मुख्य सुरक्षा उपाय प्रदान करती है:
  - असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जाएगी।
  - असाधारण मामलों में, एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट के माध्यम से क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।
- प्रावधान में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि "असाधारण परिस्थिति" क्या होती है।
- **धारा-46(1)** के प्रावधान के अनुसार, किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को किसी महिला को गिरफ्तार करते समय उसे नहीं छूना चाहिए, जब तक कि परिस्थितियां इसकी मांग न करें या कोई महिला पुलिस अधिकारी मौजूद न हो।

स्रोत: The Hindu - Arresting women at night

सोलिगा जनजाति

- हाल ही में मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने **BRT** टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सोलिगा जनजातीय समुदाय की सराहना की थी।

सोलिगा के बारे में -

- **वे बिलिगिरी रंगना हिल्स (BRT टाइगर रिजर्व) और माले महादेश्वर हिल्स, कर्नाटक में रहते हैं।**
- सोलिगा दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन वनवासी जनजातियों में से एक है।
- **उनका नाम 'सोलिगा' कन्नड़ शब्द 'शोला' से लिया गया है, जिसका अर्थ वन होता है।**
- **वे बाघों की पूजा करते हैं, उन्हें "डोड्डा नई" (Big Dog) कहते हैं और सभी जानवरों की रक्षा में विश्वास करते हैं।**
- उनकी परंपरा के तहत बाघों को समर्पित एक मंदिर भी है।
- **सोलिगा भारत का पहला जनजातीय समुदाय था जिसे बाघ अभयारण्य के अंदर वन अधिकारों को मान्यता मिली।**

स्रोत: The Hindu - Soligas

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी (SMA)

- हाल ही में एक ढाई साल की बच्ची दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है जिसका गर्भ में रहते हुए ही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का इलाज किया गया।

SMA के बारे में -

- **यह एक आनुवंशिक विकार है जो मांसपेशियों को कमजोर बनाता है क्योंकि उन्हें नियंत्रित करने वाली नसें(nerves) ठीक से काम करना बंद कर देती हैं।**

- **मोटर न्यूरॉन्स** कहलाने वाली ये नसें रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं और गति के लिए मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संकेत भेजने में मदद करती हैं।

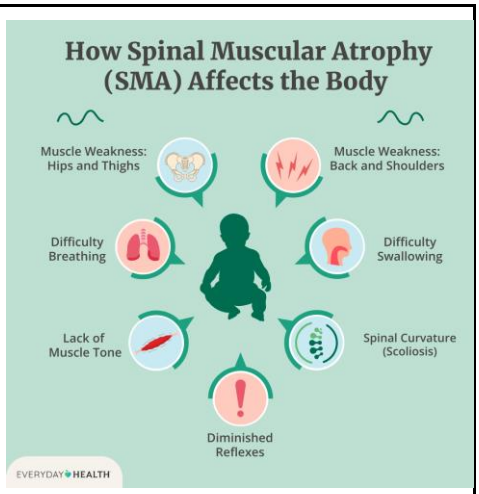

SMA का क्या कारण है?

- **SMA**, **SMN1 नामक जीन में एक समस्या (उत्परिवर्तन) के कारण होती है,** जो मोटर न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन का उत्पादन करता है।
- जब शरीर में इस प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं होता, तो मोटर न्यूरॉन्स मर जाते हैं और मांसपेशियां समय के साथ कमजोर हो जाती हैं।
- **यह बीमारी माता-पिता दोनों से विरासत में मिलती है। अगर माता-पिता दोनों ही दोषपूर्ण जीन के वाहक हैं, तो उनके बच्चे को SMA होने की 25% संभावना होती है।**

स्रोत: **Indian express - SMA**

संपादकीय सारांश

मानव तस्करी: भारत में बढ़ती समस्या

संदर्भ

- हर साल, हजारों युवा भारतीय "अनियमित प्रवासन" का प्रयास करते हैं।
- इसे संगठित मानव तस्करी नेटवर्क द्वारा सुगम बनाया गया है, जिसे आमतौर पर **कबूतरबाज़ी** के रूप में जाना जाता है।
- ये अवैध ऑपरेटर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल और गुजरात में केंद्रित हैं।

मानव तस्करी के पीछे कारण -

- अपराधी मानव तस्करी को कम जोखिम, अधिक कमाई वाला व्यवसाय मानते हैं, जिससे यह एक आकर्षक अवैध उद्यम बन जाता है।
- किसी तकनीकी कौशल या शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
- कोई वित्तीय निवेश नहीं।
- बहुत कम कानूनी कार्रवाई या आपराधिक नतीजों का सामना करते हुए, दण्ड से मुक्ति के साथ काम करता है।

पीड़ितों के समक्ष चुनौतियाँ -

- बेहतर जीवन के झूठे वादों के शिकार हो जाते हैं लेकिन अंत में उन्हें भय और दुख का सामना करना पड़ता है।
- मानव तस्करों के शिकार गंभीर खतरों का सामना करते हैं जैसे:
    - कंटेनरों में दम घुटना।
    - रेगिस्तान में मरना या समुद्र में डूबना।
    - अमानवीय परिस्थितियों में श्रम शिविरों में जबरन भेजा जाता है।
- उत्तरजीवी कष्टदायक अनुभवों का वर्णन करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
    - मानव अपशिष्ट के ढेर में बैठना
    - भोजन और पानी से वंचित होना
    - साथी प्रवासियों की मृत्यु देखना जिनके शव समुद्र में या सड़क किनारे फेंक दिए गए हों।

कानूनी खामियां और सख्त कानूनों की जरूरत -

उत्प्रवास अधिनियम, 1983: एक कमज़ोर ढांचा

- **उत्प्रवास अधिनियम, 1983, भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा को नियंत्रित करता है, लेकिन मानव तस्करी को परिभाषित नहीं करता है।**
- इसमें संगठित मानव तस्करी नेटवर्क से निपटने के लिए प्रावधानों का अभाव है।
- इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है।

राज्य स्तरीय प्रयास: पंजाब का ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012

- **पंजाब एकमात्र भारतीय राज्य है जिसने अवैध ट्रैवल एजेंटों और मानव तस्करी से निपटने के लिए कानून बनाया है।**
- पंजाब अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:
    - विदेश यात्रा की व्यवस्था या प्रबंधन करने वाले ट्रैवल एजेंटों को विनियमित करता है।
    - मानव तस्करी को धन के बदले में किसी व्यक्ति को अवैध रूप से विदेश ले जाने के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाइसेंसिंग और दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए।
- **हालाँकि, कार्यान्वयन अभी भी कमजोर है।**

उत्प्रवास अधिनियम (1983) और पंजाब अधिनियम (2012) की तुलना

- दोनों कानून भर्ती और ट्रैवल एजेंसियों को विनियमित करते हैं लेकिन अलग-अलग काम करते हैं।
- वे एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं।
- पंजाब का कानून एक अग्रणी कदम है, लेकिन एक मजबूत राष्ट्रीय कानून की तत्काल आवश्यकता है।

केंद्रीय कानून की आवश्यकता -

- **विधायी कमियां:** वर्तमान कानून, जैसे कि उत्प्रवास अधिनियम, 1983, मानव तस्करी की समस्या से पर्याप्त रूप से निपट नहीं पाते, इसलिए इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए कानून की आवश्यकता है।
- **राज्य बनाम केंद्रीय कानून:** हालांकि पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने स्थानीय कानून बनाए हैं, लेकिन एक व्यापक केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए ताकि:
    - सीमाओं का कड़ाई से विनियमन करना।
    - मानव तस्करी नेटवर्क को लक्ष्य बनाना।
    - अपराधियों को कठोर दंड देना।
- **नागरिकों की सुरक्षा:** एक मजबूत राष्ट्रीय कानून बनाने से भारतीय नागरिकों को शोषण से बचाने और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

स्रोत: **The Hindu: Human smuggling must engage Parliament's attention**

बजट में कर कटौती से कई गुना प्रभाव पड़ेगा

संदर्भ

वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर(PIT) संरचना में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए।

व्यक्तिगत आयकर में प्रमुख परिवर्तन -

- **कर-मुक्त आय सीमा में वृद्धि: धारा-87A** के अंतर्गत कर छूट सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे प्रभावी रूप से ₹12 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर का भुगतान करने से छूट मिल गई है।

बजट में कर कटौती का गुणक प्रभाव कैसे होगा -

- **प्रयोज्य आय में वृद्धि:** कर छूट सीमा में वृद्धि और कर दरों में कमी से लगभग 3.1 करोड़ करदाताओं के हाथों में अधिक धन आएगा।
    - कर कटौती के कारण प्रयोज्य आय में वृद्धि से उपभोक्ता खर्च बढ़ने की उम्मीद है।
    - हालांकि, वास्तविक प्रभाव सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) पर निर्भर करता है, जो उच्च आय समूहों के लिए उनकी उच्च बचत प्रवृत्ति और आयातित वस्तुओं की खपत के कारण लगभग 0.5% होने का अनुमान है।
- **जीडीपी वृद्धि**: अधिक यथार्थवादी MPC के साथ, प्रयोज्य आय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे जीडीपी वृद्धि लगभग 0.6% होगी।
- **निजी निवेश को बढ़ावा:** उच्च खपत व्यवसायों को उत्पादन बढ़ाने और क्षमता निर्माण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
    - बेहतर मांग परिदृश्य भी नये निवेश को आकर्षित कर सकता है।
- **गुणक प्रभाव की चुनौतियाँ**
    - **बचत बनाम व्यय:** उच्च आय वर्ग के लोग खर्च करने की अपेक्षा बचत करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे समग्र उपभोग प्रभाव कम हो जाता है।
    - **आयात रिसाव:** आयातित वस्तुओं पर बढ़ते खर्च से घरेलू अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ कम हो जाते हैं।
    - **ऋण चुकौती:** अतिरिक्त प्रयोज्य आय का कुछ हिस्सा ऋण चुकाने में उपयोग किया जा सकता है, जिससे उपभोग पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कम हो जाएगा।
- **सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में कमी:** कर कटौती के परिणामस्वरूप ₹1 लाख करोड़ का राजस्व घाटा होगा।
    - इससे या तो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) कम हो सकता है या सरकार की उधारी बढ़ सकती है, जिससे राजकोषीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- **मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम:** यदि निजी निवेश बढ़ती खपत के साथ तालमेल नहीं रखता है, तो मांग-आपूर्ति असंतुलन मुद्रास्फीति को ऊपर की ओर धकेल सकता है।

मुख्य अनुशंसाएँ -

- **निजी निवेश को बढ़ावा देना:** कर कटौती के लाभों को अधिकतम करने के लिए, निवेश के माहौल में सुधार करना महत्वपूर्ण है। निजी निवेशकों के लिए विनियामक और अनुपालन बोझ को कम करके इसे हासिल किया जा सकता है।
- **उच्च स्तरीय समिति:** वित्त मंत्री की अध्यक्षता में तथा राज्य वित्त मंत्रियों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करने से विनियामक बाधाओं की पहचान करने तथा उन्हें समाप्त करने से निवेशकों का विश्वास काफी बढ़ सकता है तथा निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है।

- **किराया-मांग और अनिश्चितता को संबोधित करना:** तीव्र और सतत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार, निवेशक उत्पीड़न और अनिश्चितता को कम करने के उपाय आवश्यक हैं।
- **राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना:** हालांकि कर कटौती से विकास को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व हानि का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, इसके लिए या तो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बनाए रखना होगा या यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ी हुई सरकारी उधारी से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को नुकसान न पहुंचे।

स्रोत: **Indian Express: Overestimating the Bonanza**